प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक-08.09.2026

साइबर मुख्यालय लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे CY-VAJRA अभियान के क्रम में थाना साइबर क्राइम बस्ती द्वारा PhonePe पर नाम सर्च करके Crime Branch Lucknow का डर दिखाकर ठगी करने वाले संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती डॉ0 यशवीर सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री श्यामाकांत के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी साइबर श्री कुलदीप यादव के नेतृत्व में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना साइबर क्राइम बस्ती द्वारा विभिन्न प्रकार से साइबर अपराध (सेक्टटॉर्सन/ डिजिटल अरेस्ट/ फर्जी पुलिस अधिकारी बन झुठे केस में फंसाने/ मैट्रिमोनियल साइट से NRI बनकर, फोन पे/ गुगल पे पर नाम निकालकर फ्राड करने वाले गिरोह के विरुद्ध थाना साइबर क्राइम बस्ती पर मु0अ0सं0-21/2026 धारा-319(2), 318(4), 308(2), 61(2), 317(2) BNS व 66C, 66D IT Act पंजीकृत कर **संबंधित 02 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-**आदित्य गुप्ता पुत्र स्व0 सीताराम गुप्ता **2-**अजय सिंह पुत्र रामसिंह को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बाटी रवाना किया गया, जिस सराहनीय कार्य के लिए आवेदक द्वारा थाना साइबर क्राइम बस्ती पुलिस की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया |

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- आदित्य गुप्ता पुत्र स्व0 सीताराम गुप्ता उम्र 28 वर्ष निवासी मसकनवा बाजार, मनकापुर रोड थाना छपिया जनपद गोंडा हाल पता मंगल बाजार मस्जिद के सामने गली में दक्षिण दरवाजा थाना पुरानी बस्ती |

2- अजय सिंह पुत्र रामसिंह उम्र 24 वर्ष निवासी कंचनपुर पोस्ट मरदमपुर थाना गुजैनी जनपद कानपुर नगर मूल पता ग्राम भौसाना थाना चौबेपुर जनपद कानपुर देहात (उ०प्र०) |

घटना/ पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-

थाना साइबर क्राइम जनपद बस्ती पर विभिन्न प्रकार से साइबर अपराध (सेक्टटॉर्सन/ डिजिटल अरेस्ट/ फर्जी पुलिस अधीकारी बन झुठे केस में फसाने/ मेट्रिमोनियल साइट से NRI बनकर, फोन पे/ गुगल पे पर नाम निकालकर फ्राड करने के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0-21/2026 धारा-319(2), 318(4), 308(2), 61(2), 317(2) BNS व 66C, 66D IT Act की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा दिनांक-07.09.2026 को समय करीब 16:35 बजे **संबंधित 02 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-** आदित्य गुप्ता पुत्र स्व0 सीताराम गुप्ता **2-**अजय सिंह चौहान पुत्र राम सिंह को गिरफ्तार किया गया जिनसे **पूछताछ के क्रम में अभियुक्त 1-**आदित्य गुप्ता द्वारा बताया गया कि मैने यह योजना व षणयंत्र बिना अपने भाई रितिक के जानकारी/ भनक/ बताये उसके खाते व सिम का प्रयोग साइबर अपराध में किया | मैने दस-बारह खाते खुलवा कर बैंक में लिंक करने वाले सिम भी उसके नाम व पते से जारी करवाया चूँकि मेरा खुद का आदित्य ट्रेडर्स के नाम से फर्म है जिसको मैं BSNL डिस्ट्रव्यूटर के लिए प्रयोग करता हूँ | मै लगभग दो साल से साइबर अपराध का कार्य कर रहा हूँ जिसमें प्रयुक्त होने वाले खाता नंबर व सिम नंबर को अपने साथियों के मोबाइल नंबर पर दे देता हूँ, जिससे जो भी पैसा साइबर अपराध का आता है, उसका 30 प्रतिशत मैं ले लेता हूँ | मै पैसा ए०टी०एम० से नगद निकालता हूँ एवं कई बार अपने साथियों के बताये हुए खाता नंबर पर भी पैसा डाल देता हूँ | थाना साइबर क्राइम बस्ती पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में वर्णित जौनपुर में घटना प्रांजल यादव के बारे में पूछने पर बताया गया कि घटना में प्रयोग करने के लिए मुझे सिम **1-**आदित्य गुप्ता ने भेजवाया था | मैने अपने साथियों के साथं योजना के तहत उसको कांलिग करके लिस से गिरफ्तार होने का भय दिखाते हुए डरा-धमका कर पुलिस व मुकदमें में फसने से बचाने के नाम पर रुपये 11,000/- मंगवा लिया था |

अपराध करने का तरीका-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम फोन-पे या गुगल-पे पर कोई भी फोन नम्बर डाल करके यह चेक करते है कि यह नम्बर किस नाम से है फिर डायरेक्ट उसको फोन करके स्वयं को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर बोलते है कि आपके खिलाफ 42 पन्नों की सी०डी०आर० प्राप्त हुई है जिसमें आपके द्वारा अश्लील वीडियो देखा जाता है, जिसके कारण आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया जा रहा क्योंकि इंडिया में 2018 से पोर्न वीडियो/ अश्लील फिल्में देखना मना है फिर भी आप द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, जिससे

ऐसे में पीड़ित डर कर हमारे झांसे में आने लगता है | हम लोगों द्वारा बताया जाता है कि अगर कोर्ट से केस खत्म कराओगे तो करीब रुपये 4 लाख लगेंगे, जबकि यहीं थाने से खत्म कराओगे तो रुपये 15 हजार रुपये लगेंगे, जिसके बाद ऐसे में पीड़ित डरकर हमारे द्वारा बताए गए यू०पी०आई०/ खाते में पैसे भेज देता है किन्तु जब हमें पता हो जाता है कि इनके पास और भी रुपये है तो हम वायस चेन्जर लगाकर उच्चाधिकारी बनकर पीड़ित को बताया जाता है कि तुम्हारा केस हाईलाइट हो गया है, जिसके लिए तुमको और रुपये देने पड़ेंगे, जिसके बाद ऐसे कर-कर के पीड़ित का खाता खाली करा लिया जाता है |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना विजय नरायन मिश्रा जनपद बस्ती |

2- निरीक्षक भगवान सिंह साइबर क्राइम थाना जनपद बस्ती |

3- उ0नि0 जावेद खान साइबर क्राइम थाना जनपद बस्ती |

4- हे0का0 अंगद मौर्या, हे0का0 ऋषि वेद तिवारी, हे0का0 पवन यादव, का0 जितेन्द्र यादव, का0 इशांत कुमार, का0 अमित कुमार झा साइबर क्राइम थाना जनपद बस्ती |

पुलिस अधीक्षक बस्ती की अपील-

साइबर ठगी का शिकार होने पर घबराएं नहीं, तुरंत 1930 डायल करें या http://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें| F.I.R. दर्ज होने के बाद भी धनराशि वापस कराई जा सकती है | किसी भी अंजान व्यक्ति को O.T.P., बैंक डिटेल आदि कोई भी जानकारी साझा न करें |